जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री विनायक माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 01/2023, क्षेत्रफल 4.9798 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,27,600 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 72 व 73, निकट ग्राम–इन्दो का बाला, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर **{कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 25.4497 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–19,51,601 टी.पी.ए. (रोम)} में स्थित है** में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, ग्रेवल, एवं मुर्रम के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अध्यक्षता में **ग्राम पंचायत भवन चानी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में दिनांक **13.11.2024** को दोपहर 3.00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	खनन इकाई का नाम	एम.एल. नम्बर	खनन इकाई का क्षेत्रफल	खनन इकाई की उत्पादन क्षमता
1	**मैसर्स विनायक माईन्स एण्ड मिनरल्स**	**01/2023**	**4.9798 हैक्टेयर**	**4,27,600 टी.पी.ए. (रोम)**
2	**मैसर्स श्री जयचन्द लाल**	**88/2018**	**3.9787 हैक्टेयर**	**2,56,500 टी.पी.ए (रोम)**
3	**मैसर्स श्री योगिन्द्र सिंह**	**25/2019**	**3.9875 हैक्टेयर**	**4,60,564 टी.पी.ए (रोम)**
4	**मैसर्स श्रीमति शोभा चौधरी**	**05/2020**	**3.6616 हैक्टेयर**	**4,39,307 टी.पी.ए (रोम)**
5	**मैसर्स श्री दया मिनरल्स**	**36/2014**	**4.8641 हैक्टेयर**	**1,35,000 टी.पी.ए (रोम)**
6	**मैसर्स श्री विपिन दैया**	**17/2018**	**3.9780 हैक्टेयर**	**2,32,630 टी.पी.ए (रोम)**

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 11.10.2024 को समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी । सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स श्री विनायक माईन्स एण्ड मिनरल्स** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **''मैसर्स मंत्राज़ ग्रीन रिर्सोसेज लिमिटेड''** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **''मैसर्स मंत्राज़ ग्रीन रिर्सोसेज लिमिटेड''** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना **खसरा नम्बर 72 व 73, निकट ग्राम–इन्दो का बाला, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में खनिज– बॉल क्ले, सिलिका सेंड, ग्रेवल एवं मुर्ररम के खनन हेतु प्रस्तावित है जिसका **एम.एल. नम्बर 01/2023**, कुल खनन क्षेत्रफल **4.9798** हेक्टेयर, तथा उत्पादन क्षमता **4,27,600 टी.पी.ए. (रोम)** होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री किशनाराम, सरपंच प्रतिनिधि द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए कहा गया कि ग्राम पंचायत चानी के क्षेत्राधिकार में कोलायत तहसील में सर्वाधिक खनन इकाईयाँ स्थापित है परन्तु खनन पट्टा धारकों द्वारा इस अनुपात में ग्राम विकास हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है। जनसुनवाई के दौरान खनन पट्टा धारकों द्वारा गाँव के विकास में सहयोग करने का आश्वासन दिया जाता है लेकिन खनन कार्य शुरू होने के पश्चात गाँव के विकास में आवश्यक सहयोग, विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएँ यथा स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार एवं नव कक्षा कक्षों के निर्माण में सहयोग तथा ग्रामवसियों को रोजगार इत्यादि में आशानुरूप सहायता नहीं की जाती है। खनन इकाईयों द्वारा सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग भी ग्राम विकास में नहीं किया जाता है। श्री किशनाराम

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय को खनन इकाईयों को रोजगार हेतु स्थानीय लोगो को प्राथमिकता दिये जाने तथा ग्राम विकास हेतु ग्राम पंचायत को सहयोग दिये जाने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा खनन इकाई के प्रतिनिधि को इस सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके प्रत्युत्तर में खनन इकाई के प्रतिनिधि श्री महिपाल सिंह द्वारा ग्राम पंचायत को समय–समय पर यथा संभव सहयोग किया जाने, गाँव में स्थित विद्यालयों को सहायता प्रदान करने एवं रोजगार में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दिये जाने का आश्वासन दिया गया।

तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित आमजन को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि पूर्व में डी.एम.एफ.टी. फण्ड के प्रस्तावों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकों को आयोजन किया गया था जिसमें ग्रामवासियों द्वारा विरोध दर्ज करवाया गया कि खनन पट्टा धारकों द्वारा खनन कार्य के दौरान नियमों की पालना नहीं की जा रही है। ग्रामवासियों द्वारा बैठक के दौरान खनन इकाईयों द्वारा पौधारोपण नहीं किये जाने एवं स्थानीय ग्रामीणों को परेशान करने सम्बन्धी शिकायते की गई थी। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों के हितो की रक्षा करने, उनकी शंकाओं का समाधान करने एवं क्षेत्र के विकास हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने सम्बन्धी आश्वासन प्रदान किया गया। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढावा देने के उद्देश्य से खनन इकाईयों को स्वीकृति प्रदान की जाती है साथ ही खनन इकाईयों को पर्यावरण संरक्षण करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश भी जारी किये जाते है। खनन पट्टा धारकों द्वारा नियमों की पालना नहीं करने से सम्बन्धित शिकायतें कार्यालय को अनेक बार प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में खनन पट्टा धारकों के साथ एक बैठक का शीघ्र ही आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं खान विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जायेगा एवं क्षेत्र में स्थित समस्त खनन इकाईयों से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कानूनी प्रावधानों की पालना करवाना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन–मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया परन्तु ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर

([illegible] कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
बीकानेर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत, बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स श्री विनायक माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 01/2023, क्षेत्रफल 4.9798 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,27,600 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 72 & 73, निकट ग्राम–इन्दो का बाला, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {मैसर्स विनायक माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 01/2023, क्षेत्रफल 4.9798 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,27,600 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री जयचन्द लाल, एम.एल. नम्बर 88/2018, क्षेत्रफल 3.9787 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,56,500 टी.पी.ए (रोम); मैसर्स श्री योगिन्द्र सिंह, एम.एल. नम्बर 25/2019, क्षेत्रफल 3.9875 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता, 4,60,564 टी.पी.ए (रोम); मैसर्स श्रीमति शोभा चौधरी, एम.एल. नम्बर 05/2020, क्षेत्रफल 3.6616 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,39,307 टी.पी.ए (रोम); मैसर्स श्री दया मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 36/2014, क्षेत्रफल 4.8641 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,35,000 टी.पी.ए (रोम); मैसर्स श्री विपिन दईया, एम.एल. नम्बर 17/2018, क्षेत्रफल 3.9780 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,32,630 टी.पी.ए (रोम)} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 25.4497 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–19,51,601 टी.पी.ए.(रोम) में प्रस्तावित है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 13.11.2024 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन चानी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर
दिनांकः–13.11.2024 समय दोपहर 3.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1.	राजेश कुमार नागर	उपखंड अधिकारी, कोलायत	[signature]
2.	Rajkumar Meena.	Regional Officer, RSPCB, Bikaner	[signature]
3.	किसनाराम पंवार	सरपंच प्रतिनिधि	[signature]
4.	Girish Vyas	AEE, RSPCB, Bik	[signature]
5.	Radheshyam Swami	JEE, RSPCB, Bikaner	Radhey
6.	हितेन्द्र शर्मा	बीकानेर	हितेन्द्र शर्मा
7.	सुरेश	बीकानेर	सुरेश
8.	रघुवराम	कोटड़ी	[signature]
9.	कुम्भाराम	चानी	कुम्भाराम
10.	नीमराज	सुरतगढ़	नीमराज
11.	राकेश	कुडसरा	राकेश

12.	शंकरसिंह	गाड़ियाला	शंकर सिंह
13.	श्यामसिंह	चानी	श्यामसिंह
14.	कोजाराम	चानी	कोजाराम
15.	रूपेश	चानी	रूपेश
16.	बाबुलाल	चानी	बाबुलाल
17.	Gopichand	Chani	~~Go~~ Gopichand
18.	अजीत सिंह	चानी	Ajit Singh
19.	GopiRAM	CHINI	GopiRAM
20.	महेन्द्र सिंह	चानी	महेन्द्र सिंह
21.	मोहनराम	चानी	[illegible]
22.	अरविन्दसिंह	दाउला	[illegible]
23.	अवतारसिंह	चानी	अवतारसिंह
24.	जितेन्द्रसिंह	चानी	जितेन्द्रसिंह
25.	पूनमराम	कोटड़ी	
26.	उत्तमाराम	कोटड़ी	
27.	मनीष	बीकानेर	[illegible]
28.	Sanjay Verma	Environmental Consultant	[illegible]
29.	Kanwarsingh	Environment Consultancy	[illegible]
30.	महेशमाली	विनायक माईनिंग	[illegible]
31.	ओमप्रकाश	ओमप्रकाश	ओमप्रकाश
32.			
33.			
34.			